

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-एन.एच.एम./2019/  
प्रति,

204

भोपाल, दिनांक 22/04/2019

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
3. समस्त अस्पताल अधीक्षक  
मध्य प्रदेश


विषय : संविदा चिकित्सा अधिकारियों के लिये इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में ।

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों के लिये वर्ष 2019-20 में इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके तहत संविदा चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय दक्षता, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, भोपाल में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की निरंतरता में क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/जबलपुर अथवा राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर स्थित स्कूल लैब में एक सप्ताह का दक्षता प्रशिक्षण मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य एवं बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन आदि के संबंध में दिया जाएगा।

संविदा चिकित्सा अधिकारियों के लिये वर्ष 2019-20 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

- |                |   |                               |
|----------------|---|-------------------------------|
| 1. प्रथम बैच   | - | 10-21 जून 2019                |
| 2. द्वितीय बैच | - | 08-19 जुलाई 2019              |
| 3. तृतीय बैच   | - | 09-20 सितम्बर 2019            |
| 4. चतुर्थ बैच  | - | 30 सितम्बर से 11 अक्टूबर 2019 |
| 5. पांचवा बैच  | - | 04-15 नवम्बर 2019             |
| 6. छठवां बैच   | - | 09-20 दिसम्बर 2019            |
| 7. सातवां बैच  | - | 03-14 फरवरी 2020              |
| 8. आठवां बैच   | - | 03-14 मार्च 2020              |

यह प्रशिक्षण सभी संविदा चिकित्सकों को दिया जाना है, प्रति बैच लगभग 40-45 संविदा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय बैच में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक संविदा चिकित्सकों के नाम संचालनालय की प्रशिक्षण शाखा को ईमेल आईडी [training.dhsmp@gmail.com](mailto:training.dhsmp@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। एक जिले से एक बैच में अधिकतम 3 या 4 संविदा चिकित्सकों को ही नामांकित किया जाना चाहिए। जिन संविदा चिकित्सकों ने इंडक्शन प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया हो उनके नाम प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित नहीं किये जाना चाहिए। आपके चिकित्सालय/ जिले में पदस्थ सभी संविदा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व आप का है, अतः इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण हेतु शीघ्र नाम प्रस्तावित किये जाये।

  
(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. संबन्धित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर।
8. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/जबलपुर।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश